



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1461]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 7, 2006/अग्रहायण 16, 1928

No. 1461]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 7, 2006/AGRAHAYANA 16, 1928

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2006

का.आ. 2075(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग की अधिसूचना संख्या का.आ. 1224(अ), तारीख 31 जुलाई, 2006, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उड़ीसा राज्य के बालासोर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 60 के 0.000 कि.मी. से 53.410 कि.मी. (बालासोर-लक्ष्मणनाथ सेक्शन) तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 27 अगस्त, 2006 को "ध्वनि प्रतिध्वनि" और तारीख 28 अगस्त, 2006 को "संवाद" में प्रकाशित किया गया था;

और, आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3(ग)(2) के अधीन उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट के प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

उड़ीसा राज्य के बालासौर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 60 के 0.000 कि.मी. से 53.410 कि.मी. रहित (बालासौर- लक्ष्मणनाथ सेक्शन) तक के भूखण्ड के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

क्रम संख्या	जिले का नाम	तहसील का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण खाता संख्या	सर्वेक्षण प्लॉट संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (एकड़ में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (ख)	(6)	(7)	(8)	(9)
	बालासौर	(1)बालासौर	पदाबड़ागाँव	899/308	2290	निजी	सारद।।	0.035	अमय कुमार साहू
		(2)बस्ता	(1)बसंतपुर	288	823	सरकारी	पक्का सड़क	0.04	उड़ीसा राज्य सरकार
				288	824	सरकारी	जालपटा	0.11	उड़ीसा राज्य सरकार
				288	825	सरकारी	पक्का सड़क	0.27	उड़ीसा राज्य सरकार
				288	826	सरकारी	नयनजोरी	0.17	उड़ीसा राज्य सरकार
				290	822	सरकारी	जलाशय	0.11	उड़ीसा राज्य सरकार
			(2)थिंगुरिया	215	330	सरकारी	आड़ी	0.16	उड़ीसा राज्य सरकार
				216	334	सरकारी	जलाशय।	0.06	उड़ीसा राज्य सरकार
				143	331	निजी	आड़ी	0.055	मधुसूदन पाण्डा, दिवाकर पाण्डा, मास्कर पाण्डा, अश्विनी कुमार पाण्डा, पल्लवी पाण्डा
				143	332	निजी	आड़ी	0.035	मधुसूदन पाण्डा, दिवाकर पाण्डा, मास्कर पाण्डा, अश्विनी कुमार पाण्डा, पल्लवी पाण्डा
			(3)गहिरसिमुलिया	313/64	169/430	निजी	घरबाड़ी	0.06	रविन्द्र महांती
			(4)सुन्दरहाट	78	657	निजी	सारद।	0.02	पुरुषोत्तम नायक
				119	652	निजी	बगायत।	0.02	मनमथ कुमार नायक
			(5)कुड़ीआ	160	41	निजी	सारद।	0.02	नित्यानंद महापात्रा
				160	37	निजी	सारद।	0.01	नित्यानंद महापात्रा
				191	39	निजी	सारद।	0.01	प्रमोद कुमार पात्रा, प्रदीप कुमार पात्रा, प्रताप कुमार पात्रा
				429	28	सरकारी	गोचर	0.04	उड़ीसा राज्य सरकार
				429	42	सरकारी	भविष्यत उन्नयन	0.02	उड़ीसा राज्य सरकार
				429	43	सरकारी	श्मशान	0.04	उड़ीसा राज्य सरकार
		(3)जलेश्वर	(1)चालंती	375/52	1495/2345	निजी	पाल	A 0.03	मधुसूदन गिरी
				82	1404/2138	निजी	पाल	A 0.05	यज्ञेश्वर दे, अरुण कुमार दे, विजय कुमार दे, मृत्युंजय दे, जनमेजय दे, मनोज कुमार दे
			(2)चक्रडा	52	421	निजी	सारद।।	A 0.01	त्रिलोचन मंडल, कौशल्या मंडल
			(3)राजपुर	101	2108	निजी	सारद।	0.075	उमेश चंद्र परीडा
				914	2107	निजी	सारद।	0.03	हुसैन बक्श
				916	2106/3055	निजी	सारद।	0.02	हुसैन साहा
				916/77	2351	निजी	सारद।	0.065	शेख जलाल

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAY**(Department of Road Transport and Highways)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th December, 2006

S.O. 2075(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O. 1224(E), dated the 31st July, 2006, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) and issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (Widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 60 on the stretch of land from Km. 0.000 to Km. 53.410 (Balasore - Laxmannath Section) in District Balasore, in the State of Orissa;

And whereas the substance of the said notification has been published in "Dhwani Pratidhwani", dated the 27th August, 2006 and in "Sambad", dated 28th August, 2006; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of land to be acquired with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 0.000 to Km. 53.410 (Balasore - Laxmannath Section) of the National Highway No. 60 in the State of Orissa

Serial number	Name of the district	Name of the tahasil	Name of the village	Survey Khata number	Survey Plot number	Type of land	Nature of land	Area (in acres)	Name of the land owner/ Interested persons
1	2	3	4	5 (a)	5 (b)	6	7	8	9
	Balasore	(1) Balasore	Padabadagaon	899/308	2290	Private	Sarada II	0.035	Abhay Kumar Sahu
		(2)Basta	(1)Basantapur	288	823	Government	Paka Sadaka	0.04	Government of Orissa
				288	824	Government	Jala pata	0.11	Government of Orissa
				288	825	Government	Paka Sadaka	0.27	Government of Orissa
				288	826	Government	Nayanjori	0.17	Government of Orissa
				290	822	Government	Jalasaya	0.11	Government of Orissa
			(2)Thenguria	215	330	Government	Adi	0.16	Government of Orissa
				216	334	Government	Jalasaya I	0.06	Government of Orissa
				143	331	Private	Adi	0.055	Madhu Sudan Panda, Dibakar Panda, Bhaskar Panda, Aswini Kumar Panda, Pallabi Panda
				143	332	Private	Adi	0.035	Madhu Sudan Panda, Dibakar Panda, Bhaskar Panda, Aswini Kumar Panda, Pallabi Panda
			(3)Gahirasimulia	313/64	169/430	Private	Gharabari	0.06	Rabindra Mohanty
			(4)Sundarhata	78	657	Private	Sarada I	0.02	Purusottam Nayak
				119	652	Private	Bagayat I	0.02	Manamath Kumar Nayak
			(5)Kudia	160	41	Private	Sarada I	0.02	Nityananda Mohapatra
				160	37	Private	Sarada I	0.01	Nityananda Mohapatra
				191	39	Private	Sarada I	0.01	Pramod Kumar Patra, Pradip Kumar Patra, Pratap Kumar Patra.
				429	28	Government	Gochara	0.04	Government of Orissa
				429	42	Government	Bhabisata Unayana	0.02	Government of Orissa
				429	43	Government	Smasana	0.04	Government of Orissa
		(3)Jaleswar	(1)Chalanti	375/52	1495/2345	Private	Pala	A 0.03	Madhu Sudan Giri
				82	1404/2138	Private	Pala	A 0.05	Yanganswar Dey, Arun Kumar Dey, Bijay Kumar Dey, Mrutujanjay Dey, Janmayjay Dey, Manoj Kumar Dey
			(2)Chakarada	52	421	Private	Sarada II	A 0.01	Trilochan Mandal, Kausalya Mandal
			(3)Rajpur	101	2108	Private	Sarada I	0.075	Umesh Chandra Panda
				914	2107	Private	Sarada I	0.03	Hussain Buax
				916	2106/3055	Private	Sarada I	0.02	Hussain Saha
				916/77	2351	Private	Sarada I	0.065	Sk. Jalal

[F. No. NHAI/11014/3D/PIU(KGP)/2006/CGM(CK)]

PRABHAKAR, Dy. Secy.